न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–114/1999

CIS NO.- 202/2019

ओमप्रकाश आर्य.....वादी

बनाम

हुसन बानो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.09.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 19.07.2022 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से दिनांक 19.07.2022 को आवेदन दिया गया कि प्रस्तुत वाद वादी के बहस हेतु नियत है। इसी दौरान वादी को एक मुख्य दस्तावेज की जानकारी हुई। अतः वादी के द्वारा उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि जो लोक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित है, दाखिल किया गया। उक्त सत्यापित प्रतिलिपि लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती है। अतः न्याय हित में उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि को प्रदर्श करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन दिनांक 19.07.2022 का प्रत्युत्तर दिनांक 03.08.2022 को दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नही है। वादी के द्वारा परतालि खतियान खाता न0–6/531 खेसरा न0–243/88 की सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है जबकि वाद बहस हेतु नियत है। अतः वादी के द्वारा यह दर्शित नही किया गया है कि वाद के इस स्तर पर उक्त दस्तावेज क्यों दाखिल किया गया है? तथा उक्त दस्तावेज की वाद में कैसे सुसंगतता है तथा दस्तावेज पर ओवर राइटिंग है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी की बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जाना चाहिए	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–114/1999

CIS NO.- 202/2019

लगातार 07.09.2022	तथा वाद से संबंधित सभी साक्ष्य मौखिक एवं दस्तावेजी अभिलेख पर उपलब्ध रहना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी के द्वारा दाखिल दस्तावेज परतालि खतियान की सच्ची प्रतिलिपि है। जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती है। वादी के द्वारा उक्त आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्याय हित में वादी का आवेदन दिनांक 19.07.2022 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदन में वर्णित कागजात पर क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। वाद दिनांक 10.10.2022 को वादी बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	